प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 14 जनवरी, 2026

विषयः-केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी राज बहादुर पुत्र श्री शिव आधार, निवासी जनपद-बांदा की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-19613/प्रोबे0-5-दया0 बैठक दिनांक 25.04.2025, दिनांक 08.05.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी राज बहादुर पुत्र श्री शिव आधार (दिनांक 18.02.2025 तक बन्दी की आयु लगभग 66 वर्ष 11 माह 19 दिन है) गौतमन का डेरा मजरा औगासी, थाना-मर्का, जनपद-बांदा का निवासी है। छत्रपाल के मृत्यु के बाद छत्रपाल की, दोनों बेटियों की देखभाल देशराज करता था। देशराज विशेशर के चाचा थे। छत्रपाल की मृत्यु के बाद अभियुक्त के पिता शिवआधार लडकियों को जबरन ले गया और उनकी शादी कर दी। विशेशर शादी से सहमत नहीं था और इसी मामले से अभियुक्तगण विशेशर से नाराज थे, जिसके कारण दिनांक 28.04.1982 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक से गोली मारकर विशेशर नामक व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु सत्र परीक्षण संख्या- 415/1982 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, सत्र न्यायाधीश, बाँदा के दण्डादेश दिनांक 13.01.1984 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 18.11.2019 द्वारा उक्त सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 18.02.2025 तक अपरिहार 12 वर्ष, 02 माह 01 दिन तथा सपरिहार 14 वर्ष, 04 माह 07 दिन की मात्र की सजा काटी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, बांदा द्वारा संयुक्त निदेशक अभियोजन के अभिमत से सहमति व्यक्त करते हुए भारतीय दण्ड संहिता की धारा-432 में किसी बात के होते हुये भी, जहाँ किसी व्यक्ति को ऐसे अपराध के लिए जिसके लिए मृत्युदण्ड विधि द्वारा उपबंधित दण्डों में से एक है। आजीवन कारावास का दण्डादेश दिया गया है या धारा-433 के अधीन किसी व्यक्ति को दिये गये मृत्यु दण्डादेश का आजीवन कारावास के रूप में लघुकरण किया गया है। वहाँ ऐसा व्यक्ति कारावास से तब तक नही छोड़ा जायेगा जब तक कि उसने 14 वर्ष का कारावास पूरा न कर लिया हो का अंकन करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति की आख्यानुसार बन्दी को मा० सत्र न्यायालय द्वारा प्रदत्त आजीवन कारावास के सापेक्ष दिनांक 18.02.2025 तक अपरिहार 12 वर्ष, 02 माह, 01 दिन तथा सपरिहार 14 वर्ष 04 माह 07 दिन की भोगी गयी सजा, रिहा होने पर समाज में प्रतिकूल संदेश जाने एवं जिला मजिस्ट्रेट, बाँदा द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी राज बहादुर (बन्दी संख्या-656/2022) पुत्र श्री शिव आधार, निवासी जनपद-बांदा की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-39/2026/1119(1)/22-2-2025 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बांदा।
2- पुलिस अधीक्षक, बांदा।
3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री/ मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।